संख्या-45/2024/103/22-2-2024-17(49)/2024

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार पुत्र श्री सिद्दीक, निवासी जनपद- फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक के पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार पुत्र श्री सिद्दीक, खेडिया, थाना-एका, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपटटे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-682/2004 में भा0द0वि0 की धारा-363, 302/34, 201, 376(2)(जी) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, एटा के आदेश दिनांक 13.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.12.2023 तक 17 वर्ष, 02 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष, 07 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट दिनांक 23.11.2023 के अनुसार बन्दी 48 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार एवं हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बार (बन्दी संख्या-21137) पुत्र श्री सिद्दीक, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-45 /2024/103(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका संख्या-276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in